

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (1970 के संवैधानिक अधिनियम संख्या 16 द्वारा संस्थापित)

विज्ञप्ति

शिक्षक अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षकों का चयन किया जाना है। चयनित शिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण भत्ता शिक्षक अधिनियम 1961 के अनुसार देय होगा। शिक्षकों का विवरण ट्रेडवाइज निम्न प्रकार से है :-

Copa	16	Ref. R&AC	8
Steno Hindi	4	Steno English	13
Computer Hardware & Maintenance	3	Mechanic Diesel	11
Laboratory Assistant	4	Electrician	30
fitter	12	Carpenter	11
Plumber	17	Mechanic Tractor	6
Dress making	2	Electronics Mechanic	2
Mechanic agricultural machinery	3	Sewing technology	2
Painter	13	Welder	7
		Draughtsman (civil)	2

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन व आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट (apprenticeshipindia.org) पर दिनांक 27-11-2021 से 10-12-2021 को मध्य रात्री 12:00 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार नं., आई.सी. (केवल वोटर कार्ड, सी.एल., पासपोर्ट), मैट्रिक प्रमाण पत्र व आई.टी.आई. विभाग द्वारा जारी आई.टी.आई. पास का मूल प्रमाण पत्र (with marks) ही अपलोड करें तथा फॉर्म भरने के बाद केवल अपलोड किये गये दस्तावेजों की फोटो प्रति कार्यालय, नोडल ऑफिस, कॉलेज ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, सीसीएस एचएयू, हिसार में जमा करवाना अनिवार्य है। यदि उम्मीदवार अपलोड दस्तावेजों की फोटो प्रति कार्यालय में जमा नहीं करवाता है तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। जिस उम्मीदवार द्वारा दिनांक 27-11-2021 से पहले या दिनांक 10-11-2021 के बाद ऑनलाइन आवेदन किया है वे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। सफल शिक्षकों का चयन आई.टी.आई. मार्कशीट अंकों के अनुसार केवल मैरिट आधार पर ही किया जाएगा। उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित कर ले कि उस द्वारा पूर्व में किसी भी व्यवसाय (ट्रेड) में शिक्षता ग्रहण नहीं की हो। यदि वह ऐसा किया पाया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है।

नोडल ऑफिसर (apprentices)

www.NaukriCrunch.com सीसीएस एचएयू, हिसार